न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 139/2021 राजस्व वाद

1. गोविन्द सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
2. प्रभु सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
3. भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
4. महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––– वादीगण

बनाम

1. पाबू सिंह पुत्र श्री थान सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
2. मीठू सिंह पुत्र खैम सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
3. गिरधारी सिह पुत्र खेम सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
4. रामसिंह पुत्र खैम सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार तंवर, –अधिवक्ता वादी
2. एकपक्षीय– प्रतिवादीगण
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक–05.11.2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

उपखण्ड अधिकारी पदन
सहायक कलक्टर करेड़

आदेश

सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला लवाड़ा (राज0) के आराजी नम्बर 1419, 1420, 1466, 1483, 1484, 1486, 1487 कुल किता 07 रकबा 3. 295 हैक्टयर मे वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार म्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है -(1) खातेदार का नाम– महेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, प्रभु सिंह, गोविन्द सिंह, भगवान सिंह नारायण सिंह इस्सा बराबर जाति राजपूत सा.दहीमथा खातेदार के नाम पर–

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	1419	0.3035 हैक्टयर
2.	1483/2	0.3794 हैक्टयर
3.	1486/1	0.2194 हैक्टयर
योग	कुल किता 03	0.9023 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम– गिरधारी सिंह पुत्र खेम सिंह हि 2/9 जाति राजपूत सा. देह रहन सी.सी.बी. रेड़ा, मीठू सिंह पुत्र खेम सिंह हि. 2/9 जाति राजपूत सा. देह रहन बी.ओ.बी. बैंक शाखा करेड़ा, मसिंह पुत्र खेमसिंह 2/9 जाति राजपूत सा. देह रहन सी.सी.बी. करेड़ा, नन्द कंवर पुत्री पाबू सिंह हिस्सा /6 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, भंवर कंवर पत्नी स्व0 पाबू सिह 1/6 जाति राजपूत सा. देह ातेदार के नाम पर–

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	1420	0.2782 हैक्टयर
2.	1466	0.3035 हैक्टयर
3.	1483/1	0.0948 हैक्टयर
4.	1483/3	0.3858 हैक्टयर
5.	1486/2	0.5420 हैक्टयर
6.	1484	0.6703 हैक्टयर
7.	1487/2	0.4326 हैक्टयर
योग	किता 07	2.7072 हैक्टयर

3) खातेदार का नाम– बदस्तूर खातेदारान वर्तमान खाता संख्या 321 अनुसार पूर्ववत रहेगे –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	1486/3	0.0100 हैक्टयर
2.	1487/1	0.0100 हैक्टयर
योग	किता 02	0.0200 हैक्टयर (रास्ते हेतु)

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना हन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)